बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक, सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 26.09.2023) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:—

03/01/2024

आदेश

संवेदक सिंह कन्स0 प्रा0 लि0 पताः—न्यू सतपूरा कॉलोनी, पी0ओ0—लेन, अघोरिया, बाजार, मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्याः— 1200012/2020 श्रेणी—प्रथम) एवं अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल—01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthring of Chhoti Saraiyaganj to Leprosy Mission Chowk via Kalyani chowk, Hathi chowk, Goushala chowk in km 0.00 to 4.25 for the year 2019-2020 (Under Plan Head) की पुर्ननिविदा में संवेदक सिंह कन्स0 द्वारा गलत कागजात Upload कर भाग लिये जाने के कारण अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 7059 (E) दिनांक 09.10.2020 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में पंजीकृत संवेदक सिंह कन्स0, मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्याः— 1200012/2020 श्रेणी—प्रथम) को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी।

प्रस्तुत मामले में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग के अध्यक्षता में गठित निविदा समिति में दिनांक 18.09.2020 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार संवेदक सिंह कन्स0 द्वारा गलत कागजात Upload कर निविदा की अहर्त्ता प्रस्तुत करने के लिए *SBD के ITB CL.4.8 (False representation)* एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के आलोक में कार्रवाई किये जाने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से अनुशंसा की गयी। पथ निर्माण विभाग की तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाया गया है कि निविदाकार सिंह कन्स0 द्वारा Similar Nature of work , Turnover, Technical Personnel, Key Plants & Equipments, Experience of work done quantity, Bidding Capacity, Power of Attorney, Liquid Assests and Credit Facility एवं Affidavit से संबंधी जो प्रमाण—पत्र निविदा कागजात के साथ अपलोड किया गया था, वह मेसर्स सिंह कन्स0 के नाम से है। निविदाकार सिंह कन्स0 जो एक पार्टनरशीप फर्म है, का गठन दिनांक 15.06.2020 को हुआ है तथा सिंह कन्स0 के पार्टनरशीप डीड के अनुसार मेसर्स सिंह कन्स0 का सिंह कन्स0 से. कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार मेसर्स सिंह कन्स0 के नाम से निर्गत कागजातों की मान्यता नहीं दी जा सकती है।

प्रश्नगत मामले में पथ निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा में वर्णित निंधन संख्या के संवेदक सिंह कन्स0 प्रा0 लि0, न्यू सतपुरा कॉलोनी, पी0ओ0—लेन, अधोरिया, बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार से विभागीय पत्रांक 34 दिनांक 05.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई थी। संवेदक द्वारा निबंधित डाक से अपना उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करया गया। पथ निर्माण विभाग से प्राप्त अनुशंसा एवं संवेदक/निविदाकार से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन पर समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग की निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार सिंह कन्स0 द्वारा अपने निविदा कागजात के साथ ग्रामीण कार्य विभाग का निबंधन अपलोड किया गया है। अपलोड किया गया निबंधन प्रमाण—पत्र सिंह कन्स0 प्रा0 लि0 के नाम से है। निविदाकार सिंह कन्स0 एवं ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक सिंह कन्स0 प्रा0 लि0 का पता भी एक ही है। इस प्रकार निबंधन प्रमाण—पत्र में अंकित नाम में परिवर्त्तन कर निविदाकार द्वारा निविदा की अहर्त्ता प्रस्तुत की गयी है। विभागीय समीक्षोपरान्त निंबंधन संख्याः— 1200012/2020 श्रेणी—प्रथम के संवेदक सिंह कन्स0 प्रा0 लि0 को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया।

तद्‌लोक में गलत कागजात के आधार पर निविदा की अहर्त्ता प्रस्तुत करने के कारण संवेदक सिंह कन्स० प्रा० लि० (निबंधन संख्या:– 1200012/2020 श्रेणी–प्रथम) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 451 दिनांक 04.02.2021 द्वारा दस (10) वर्षो के लिए काली सूची में सम्मिलित किया गया है।

<u>संवेदक का पक्ष:–</u> संवेदक सिंह कन्स० प्रा० लि०, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में प्रतिवेदित किया गया है वेबसाईट के पोर्टल पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा गलत कागजात अपलोड हो गया था। इस संबंध में पोर्टल पर अपलोड किये गये गलत कागजात के आधार पर निविदा की अहर्त्ता प्रस्तुत किये जाने के कारण 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत किया गया है, जो अब तक विभागीय आदेश के तहत 03 (तीन) वर्ष पूर्ण हो चुका है।

स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत आमंत्रित पुर्ननिविदा में इनके द्वारा गलत कागजात Upload कर भाग लिया गया, जिस कारण इन्हें 10 (दस) वर्षे के लिए काली सूची में डाला गया है।

अतःएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक सिंह कन्स० प्रा० लि० पताः–न्यू सतपूरा कॉलोनी, पी०ओ०–लेन, अघोरिया, बाजार, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 451 दिनांक 04.02.2021 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए डाले गये काली सूची के आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–49/2023 344 /पटना, दिनांक–19/1/24

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/24

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–49/2023 344 /पटना, दिनांक–19/1/24

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–49/2023 344 /पटना, दिनांक–19/1/24

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–49/2023 344 /पटना, दिनांक–19/1/24

विभागीय वेबसाइट/ ईमेल

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–01–49/2023 344 /पटना, दिनांक 19/1/24

प्रतिलिपि:– संवेदक सिंह कन्स0 प्रा0 लि0 (निबंधन संख्या:– 1200012/2020 श्रेणी–प्रथम) पता:–न्यू सतपूरा कॉलोनी, पी0ओ0–लेन, अघोरिया, बाजार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/24

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव